न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमन्द

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स संख्या 05/2017

दायर दिनांक 02.11.2017

निर्णय दिनांकः 29.08.2025

अनवान् मुकदमा

1. रूपसिंह पिता श्री तेजसिंह जी जाति खरवड आयु 60 वर्ष निवासी गाँव तहसील व जिला राजसमन्द
2. सोहनसिंह पिता श्री रायसिंह जी जाति चदाणा आयु 30 वर्ष निवासी गाँव तारोट तहसील व जिला राजसमन्द
3. प्रतापसिंह पिता श्री जोधसिंह जी जाति खरवड आयु 45 वर्ष निवासी गॉव तारोट तहसील व जिला राजसमन्द

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरेश पिता नेतीराम भील निवासी तारोट तहसील व जिला राजमसन्द
2. धुलीराम पिता नेतीराम भील निवासी तारोट तहसील व जिला राजमसन्द
3. कसनी पुत्री नेतीराम भील निवासी तारोट तहसील व जिला राजमसन्द
4. गंगाबाई बेवा नेतीराम भील निवासी तारोट तहसील व जिला राजमसन्द
5. तहसीलदार तहसील कार्यालय राजसमन्द

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व, अधिनियम 1956 रेफरेन्स वास्ते खारिज करने भू–आवंटन, जो पत्रावली कमांक 1174/78 तारीख फैसला 31/12/1978 में दिये उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द के आदेश को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :

1– श्री शैलेन्द्र शक्तावत, अधिवक्ता प्रार्थी

2– श्री रोशनलाल सोनगरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4

3– अप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित।(एकपक्षीय कार्यवाही)

4– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 5

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 जिलाधीश राजसमन्द के आदेश क्रमांक 1174/1978 दिनांक 31.12.

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

1978 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम तारोट पटवार सर्कल साकरोदा भू–अभिलेख क्षेत्र फरारा तहसील व जिला राजसमन्द में विपक्षीगण के पिता शंकर पिता बगता जी मील के खातेदारी हक से निम्न कृषि भूमिया स्थित थी।

खाता संख्या		आराजी नम्बर		रकबा	किस्म
नये	पुराने	वर्तमान	साबिक न		
219	101	1561/976	1497/976	04–00–00	बा. तृ.

उक्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 1497/976 का कुल रकबा 12–10–00 बीघा हैं जो सवत् 2022 में राजस्व अभिलेख में आबादी दर्ज हैं। इस आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर हेमा पिता चतरभुज, जगतिंग पिता लखा, वक्ता पिता सतारिंग, उदा, अनोप पिता देवा. भूरा पिता किका, भीमा पिता माना, चदना पिता खुमा, वक्ता पिता प्ररता, रूपा पिता खुमा, तेजींग पिता मोती, मोडा पिता दूजा, चदाना, भीमा पिता किशना, जीवा, देवा, वागा पिता दीपा, भेरा पिता हरलाल, खरवड के कब्जे हो वे इस जमीन पर उपर मकान बना अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं इस कब्जे का अंकन खसरा मिलान सवत 2022 में दर्ज है। आज भी इन अतिक्रमीयों के वारिसान अपने परिवार सहित इन मकानों में निवास कर रहे हैं एवं वर्ष 1971 से 1977 के बीच ग्राम पंचायत साकरोदा पंचायत समिति राजसमन्द ने इन अतिक्रमीयों एवं उनके वारिसानों को इस आबादी भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टे आवटिंत किये हैं इस प्रकार साबिक आराजी नम्बर 1497/976 के सम्पूर्ण रकबा 12–10–00 भूमि पर लोगों के मकान बने हुये हैं। पंचायत द्वारा यहा सामुदायिक भवन बनवाया है जिसका मोहल्लेवासी उपयोग कर रहे है इसी आराजी में से होकर साकरोदा से पुठोल जाने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक बनी हुई है इस आराजी में मन्दिर भी हैं, पथवारिया भी हैं इस प्रकार से सम्पूर्ण रकबा आबादी के रूप में उपयोग हो रहा है। कृषि हेतु कोई जमीन शेष नहीं है। राजस्व केम्प साकरोदा में दिनांक 31/12/1978 को सबडिविजन अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित हुआ इस केम्प में नेती पिता धन्ना जाति भील निवासी तारोट तहसील व जिला राजसमन्द ने मौजा तारोट में 10 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया इस आवेदन पत्र में प्रार्थी नेती ने आराजी नम्बर का अंकन नहीं किया न ही आवेदन पत्र का सत्यापन किया इस अपूर्ण आवेदन पत्र पर प्रतिवेदन पावर पटवार मण्डल साकरोदा तहसील राजसमन्द में बिना मौका जॉच किये पेश किया। जिसमें हल्का पटवारी ने भी किसी भी आराजी नम्बर का उल्लेख नहीं किया केवल मात्र आवंटन अधिकारी ने अपनी मर्जी से आराजी नम्बर 1497/976 रकबा 00–04–00 अंकित कर आंवटन आदेश जारी कर दिये। जबकि यह आराजी नम्बर पूर्व से ही आबादी के रूप में काम आ रहा था तथा सम्पूर्ण आबादी में मकान बने हुये जिनके ग्राम पंचायत साकरौदा द्वारा पट्टे भी दिये गये है। आवंटन के पश्चात नेती पिता धन्ना का नाम जरिये नागान्तकरण राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी हक से दर्ज किया गया जिसे बाद में जरिये नामान्तकरण से आराजी नम्बर 1561, 1497/976 रकबा 04–00–00 भूमि खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति दी गई जबकि आवंटन आदेश में आराजी नम्बर 1561 का कहीं कोई उल्लेख नहीं हैं। बाद में जरिये शुद्धि पत्र दिनांक 03/06/2004 से आदेश होने से आराजी नम्बर 1561, 1497/976 रकबा 04–00–00 आराजी नम्बर 1561/976 दर्ज करने की स्वीकृति हुई। नेती पिता धन्ना

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

की मृत्यु होने के पश्चात उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई जो वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार है जिन्हें पक्षकार बनाया गया है। उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द द्वारा दिनांक 31.12.1978 को नेती पिता धन्ना निवासी तारोट के पक्ष में किया। भू आवंटन विधि विरूध है। भू आवंटन कार्यवाही पटवार मण्डल साकरोदा में लगें राजस्व केम्प में एक ही दिन में मौके की स्थिति को देखा बिना कर दिया जो अवैध विधि विरूद्ध होकर खारिज करने योग्य हैं। आवटन के पहले ही सम्पूर्ण रकबे में गाँव वासियो के पक्के स्थाई मकान बने होकर ये अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं जिनके पास पंचायत द्वारा जारी पट्टे भी हैं। वर्तमान में इन मकानों में उनके वंशज निवास कर रहे है। प्रार्थीगण भी उन्हीं वशंजों में हैं। सम्पूर्ण रकबा आवासीय होकर उसमें पक्की सडक, मन्दिर, सामुदायिक भवन, मकान आदि बने हुये है। देखने मात्र से सम्पूर्ण आराजी एक आबादी मोहल्ला दिखाई देता है। हल्का पटवारी द्वारा खातेदारी अधिकार भी गलत रूपेण मौके की स्थिति के विपरित रिपोर्ट बना कर दिलवाये गये है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र की कालम संख्या एक में वर्णित भूमि सवत् 2022 में राजस्व अभिलेख में आबादी दर्ज होने एवं उस समय से ही गीन वासियों के मकान बने होने से एवं इनके ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे दिये जाने से नेती के पक्ष में दिया गया भू आवंटन प्रारम्भत शुन्य होकर काबिज खारिज है। जिस हेतु यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से भिजवायें जाने से पेश है जिसे बाद सुनवाई राज्य सरकार को मिजवाये जाने की कार्यवाही होगी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमि काननून भू आवंटन योग्य नहीं थी फिर भी विपक्षीगण के पिता के नाम उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द द्वारा आवंटित कर दि गई जिसे निरस्त किया जाकर भूमि आबादी में अंकित की जाना आवश्यक है । प्रार्थीगण इस आराजी में अपने पूर्वजों के समय से बने मकानों में निवास कर रहे जिस कारण हितबद्ध होकर उन्हें यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश करने का हक व अधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के पक्ष में किये गये भू–आवटन जो पत्रावली कमांक 1174/78 फैसल दिनांक 31/12/1978 से आराजी नम्बर 1497/976 रकबा 04–00–00 किया गया उसे निरस्त फरमाया जाये।

अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत को दर्ज कर अप्रार्थी को सूचना हेतु सूचना पत्र जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल सोनगरा ने उपस्थिति दी। तथा अप्रार्थी संख्या 3 के बावजूद सूचना लगातर पेशी पर अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी तथा अप्रार्थी संख्या 5 की ओर राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिती दी।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के वक्त बहस अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता प्रार्थी व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 1497/976 का कुल रकबा 12–10–00 बीघा हैं जो सवत् 2022 में राजस्व अभिलेख में आबादी दर्ज हैं। इस आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर हेमा पिता चतरभुज, जगतिंग पिता लखा, वक्ता पिता सतारिंग, उदा, अनोप पिता देवा. भूरा पिता किका, भीमा पिता माना, चदना पिता खुमा, वक्ता पिता प्ररता, रूपा पिता खुमा, तेजींग पिता मोती, मोडा पिता दूजा, चदाना, भीमा पिता किशना, जीवा, देवा, वागा पिता दीपा, भेरा पिता हरलाल,

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

खरवड के कब्जे हो वे इस जमीन पर उपर मकान बना अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं इस कब्जे का अंकन खसरा मिलान सवत 2022 में दर्ज है। आज भी इन अतिक्रमीयों के वारिसान अपने परिवार सहित इन मकानों में निवास कर रहे हैं एवं वर्ष 1971 से 1977 के बीच ग्राम पंचायत साकरोदा पंचायत समिति राजसमन्द ने इन अतिक्रमीयों एवं उनके वारिसानों को इस आबादी भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टे आवटिंत किये हैं इस प्रकार साबिक आराजी नम्बर 1497/976 के सम्पूर्ण रकबा 12–10–00 भूमि पर लोगों के मकान बने हुये हैं। देखने मात्र से सम्पूर्ण आराजी एक आबादी मोहल्ला दिखाई देता है। हल्का पटवारी द्वारा खातेदारी अधिकार भी गलत रूपेण मौके की स्थिति के विपरित रिपोर्ट बना कर दिलवाये गये है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र की कालम संख्या एक में वर्णित भूमि सवत् 2022 में राजस्व अभिलेख में आबादी दर्ज होने एवं उस समय से ही गीन वासियों के मकान बने होने से एवं इनके ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे दिये जाने से नेती के पक्ष में दिया गया भू आवंटन प्रारम्भत शुन्य होकर काबिज खारिज है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के पक्ष में किये गये भू–आवटन को निरस्त फरमाया जाये।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार एवं उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार निर्णय किया जाना न्यायसंगत है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गयी तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक ग्राम तारोट के आराजी संख्या 1561/976 रकबा 4–00 बीघा किस्म बारानी तृतीय सुरेश पुत्र नेतीराम 1/4, धुलीराम पुत्र नेतीराम 1/4, किसनी पुत्री नेतीराम 1/4, गंगाबाई पत्नि नेतीराम 1/4, भील सा. देह के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। तथा ग्राम तारोट का आराजी संख्या 1561/976 में सुरेश पुत्र नेतीराम 1/4, धुलीराम पुत्र नेतीराम 1/4, किसनी पुत्री नेतीराम 1/4, गंगाबाई पत्नि नेतीराम 1/4, भील खातेदारो के नाम अंकित है परन्तु मौके अनुसार उक्त आराजी में खरवड़ व चदाणा (राजपूत) समाज के क्रमशः 12 परिवार के मकान व बाड़े बने हुए है एवं उक्त आराजी संख्या का आंशिक भाग रास्ते हेतु प्रयुक्त हो रहा है।

प्रार्थीगण द्वारा इस भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा द्वारा जारी किये गये पट्टे, जो 1972 व 1977 में जारी किये गये थे प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थीगण व उनके पूर्वाधिकारी इस जमीन पर मकान बना अपने परिवार सहित निवास कर रहे जिसके कब्जे का अंकन खसरा मिलान सवत 2022 में दर्ज है तथा भूमि पर मकान बनाकर निवास करने वाले लोगो के बिजली बिल भी प्रस्तुत किये गये, तथा एक google map भी प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट जाहिर हुआ कि सम्पूर्ण आराजीयात पर मकान बने हुए है तथा इसका कृषि उपयोग नहीं किया जा रहा है व आवंटियो का भूमि पर कब्जा नहीं है। तथा उनके द्वारा भूमि पर काश्त की जा रही है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार आवंटियो की अभिधृतियो का अवसान हो चुका है।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्राम तारोट तहसील राजसमन्द में स्थित भूमि का आराजी नम्बर 1497/976 रकबा 04–00–00 किस्म बारानी तृतीय विपक्षीगण को उपजिलाधीश राजसमन्द द्वारा आवंटन आदेश क्रमांक 1174/78 फैसल दिनांक 31/12/1978 के निरस्तीकरण के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)